भाग– III

सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।

प्रकरण क्रमांक **FP/MP/MIN/142344/2021**

1	स्थल जहाँ की वनभूमि शामिल की गई है क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हॉ/नहीं) यदि हॉ तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	जी, हॉ । दिनांक 09.11.2023 को स्थल निरीक्षण किया गया है। विस्तृत विवरण स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में संलग्न है।
2	क्या वन संरक्षक उप वन संरक्षक के अभिमत से सहमत है। यदि नहीं तो उसका कारण दें।	सहमत है।
3	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में विस्तृत कारणों के साथ अभिमत।	मेसर्स स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेज प्रा0 लिमिटेड अडानी कार्पोरेट हाउस शान्तीग्राम, अहमदाबाद द्वारा सिंगरौली जिले के वन मण्डल सिंगरौली के परिक्षेत्र बैढ़न, माड़ा एवं पूर्व सरई में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत कोयला उत्खनन का कार्य किया जाना है। कोयला उत्खनन परियोजना में वन मण्डल सिंगरौली की निम्नानुसार वन भूमि प्रभावित हो रही है।

क्र.	जिला/वनमण्डल मण्डल	संरक्षित/आरक्षित वन आरक्षित वन भूमि	परिक्षेत्र का नाम	कक्ष क्र0	रकवा (हे0)
1	2	3	4	5	6
1	सिंगरौली	आरक्षित वन भूमि	बैढ़न	353	21.90
2		आरक्षित वन भूमि	बैढ़न	354	53.33
3		आरक्षित वन भूमि	बैढ़न	356	37.83
4		आरक्षित वन भूमि	बैढ़न	361	237.79
5		आरक्षित वन भूमि	माड़ा	534	0.47
6		आरक्षित वन भूमि	पूर्व सरई	362	185.85
7		आरक्षित वन भूमि	पूर्व सरई	363	232.80
8		आरक्षित वन भूमि	पूर्व सरई	364	124.90
9		आरक्षित वन भूमि	पूर्व सरई	370	52.99
10		आरक्षित वन भूमि	पूर्व सरई	371	110.48
11		आरक्षित वन भूमि	पूर्व सरई	372	11.26
12		आरक्षित वन भूमि	पूर्व सरई	373	26.59
13		आरक्षित वन भूमि	पूर्व सरई	337	12.18
14		आरक्षित वन भूमि	पूर्व सरई	357	4.34

15		आरक्षित वन भूमि	पूर्व सरई	360	210.06
16		आरक्षित वन भूमि	पूर्व सरई	377	12.58
				योग	**1335.35**
17		राजस्व वन भूमि	ग्राम आमडाड़		7.49
18			ग्राम अमराईखोह		2.38
19			ग्राम धिरौली		52.32
				योग	**62.19**
				कुल योग	**1397.54**

उपरोक्त प्रभावित वन भूमि में से प्रस्तावित वनभुमि कक्ष कमांक RF 373 वनमण्डल के प्रचलित कार्य आयोजना श्री राजीव मिश्रा भा.व.से. सत्र 2019–20 से 2028–29 के आलेख भाग–2 के पृष्ठ कमांक 442 के अनुसार हाथी कोरीडोर मे संम्मिलित है।

वन मण्डल की कार्य आयोजना में हाथी कोरीडोर के संबंध में निम्नानुसार प्रावधान किया गया है।

(अ) 16.6 (9)– कोरीडोर में किसी भी प्रकार का कार्य जिससे कॉरीडोर की निरंतरता में व्यावधान उत्पन्न होता हो जैसे स्थायी भवन निर्माण, डिपो की स्थापना, लेबर कैम्प की स्थापना तथा अन्य स्थाई निर्माण कार्य आदि नहीं किये जावेंगे।

(ब) 16.6 (10)– कोरीडोर में स्थित कक्षों को यथा संभव गैर वानिकी उपयोग हेतु हस्तानांतरित नहीं किया जाये। यदि ऐसा करना अवश्यंभावी हो तो सर्वप्रथम कॉरीडोर की स्थापना की जाये।

वन मण्डलाधिकारी सिंगरौली द्वारा कार्य आयोजना के उक्त प्रावधान एवं अन्य (1–18) का पालन सुनिश्चित करने की शर्त पर **1397.54** हे0 वन भूमि मेसर्स स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेज प्रा0 लिमिटेड अडानी कार्पोरेट हाउस शान्तीग्राम, अहमदाबाद के पक्ष में कोयला उत्खनन हेतु व्यपवर्तन की स्वीकृति दिये जाने की अनुशंसा की गई है।

वन मण्डलाधिकारी वन मण्डल सिंगरौली द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर इस कार्यालय द्वारा भी कोयला उत्खनन हेतु **1397.54** हे0 वन भूमि मेसर्स स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेज प्रा0 लिमिटेड अडानी कार्पोरेट हाउस शान्तीग्राम, अहमदाबाद के पक्ष व्यपवर्तन की स्वीकृति दिये जाने की अनुशंसा की जाती है।

तिथि : 21-11-2023
स्थानः रीवा

(राजेश कुमार राय)
भा.व.से.
वन संरक्षक
रीवा वृत्त,रीवा म.प्र.